KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

(PERMIT FORM)

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

ID No. :-	**04042014003**	Block/Sector	**-----/N/A**
Plot/House	**465,467 TO 469,471 TO 480,482 TO 488,490/-----**	Scheme	**-----**
Permit Date	**19-11-2015**/21.11.2015	Application Date	**04-04-2014**
Permit No.	**01/BHAWAN/14-15**		
Area(Place)	**JAWAHAR PURAM**		
Land Usage	**Residential(More Than 300 Sq. Meter)**		
Applicant's Name	**ELDECO TOWNSHIPS AND HOUSING LTD.**		
Present Address	**F.F. VIRENDRA SMRITI COMPLEX, 15/54-B CIIVL LINES,KANPUR**		

Sanction vide order dated : **23-10-2015 V.C** build grandted as per sanctioned building plan enclosed subject to the conditions as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years from the date of ~~Sanction~~ release 24 for fresh Map/One year in Case of Renewal.

21/11/15

Authorised Signatory

आशीष शिवपुरी
नगर नियोजक

Copy To:- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.

Authorised Signatory

उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक- 17.09.2020 व दिनांक- 29.09.2020 के अनुपालन में मानचित्र की वैधता अवधि दिनांक- 23.10.2020 से दिनांक- 22.10.2023 तक बढ़ायी जाती है।

21/10/2020

ज्योति प्रसाद
नगर नियोजक
का०वि०प्रा०

अनुज्ञा कि शर्ते :-
1 यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है , किन्तु इसके फलसवरूप संदर्भित भू / गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्ता होता है और ना ही समाप्त होता है और ना ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधिक कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधिक करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पढ़ता है I
2 यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारदान तथ्यो को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक वव्हयार कर प्राप्त की गयी है ,निरस्त की जा सकती है I
3 किसी भी प्रकार का प्रछेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियो के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी ,छज्जा ,कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप के रूप में चाहे भले हो , ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक़्शे में दर्ज दिए गए की अनुज्ञा अमान्य होगी I ऐसे निर्माण कार्यो के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृती अनिवार्य है I
4 अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5 यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विधुत तार हो , जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विधुत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिए जाये I
6 रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ववस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगीं I पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार 4 व्रक्ष लगाने होगें एवं सोलर वाटर हीटिंग का प्राविधान करना होगा।
7 निर्माण भूकम्परोधी करना होगा ।
8 दिये गये शपथ पत्र के क्रम में भविष्य में विकास शुल्क के मद में कोई देयता बनती है तो देय होगी।
9 उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 -ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवयशक होगा ।
10 भू -स्वामित्व विषयक किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
11 मानचित्र की स्वीकृति् एकल आवासीय हेतु प्रदान की जा रही है। अन्य उपयोग की दशा में मानचित्र स्वत निरस्त समझा जायेगा।
12 किसी भी शर्त का पालन ने किये जाने की दशा मे मानचित्र स्वत: निरस्त समझा जायेगा ।

Authorised Signatory

आशीष शिवपुरी
नगर नियोजक

काo विo प्राo

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

PERMIT FORM
(SHAMAN UPVIDHI -2009)

WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

S. No. :-	*70*		
Plot/House	**KHASRA NO-465, 467 TO 469 ,471, TO 480, 482 TO 488, 490/---**	Block/Sector/Type	**--/N/A**
Date of issue	**18.02.2022**	Scheme	---
application No.	**193/BHAWAN/SHAMAN/2021-22**		
Area(Place)	**JAWAHARPURAM**		
Land Usage	**RESIDENTIAL**		
Applicant's Name	**ELDECO TOWNSHIP AND HOUSING LTD.**		
Present Address	**R/O-F.F. VIRENDRA SMRITI COMPLEX, 15/54-B CIVIL LINES KANPUR.**		

Sanctioned vide order dated :- **14.02.2022 of V.C.** BY/Authorized officer. **Compounding** permission granted as per **compounding/existing plan** enclosed Subject to The Conditions as per written overleaf.

18/02/22

Authorised Signatory

अजय कुमार सिंह
नगर नियोजक
काoविoप्राo

Copy To:- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्तेः–

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भॉति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियो के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्षे में दर्षा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यो के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहॉ पर विधुत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विधुत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये जाये।
6. वाटर हार्वेस्टिग, वृक्षारोपण हार्वेस्टिंग, सोलर संयन्त्र की व्यवस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
7. रेन वाटर हार्वेस्टिग की व्यवस्था रूफटाप क्षेत्रफल के आधार पर अर्हता प्राप्त दक्ष इंजीनियर से डिजाइन कराकर निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
8. निर्मित भवन के भूकम्परोधी होने की सुनिश्चितता आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
9. पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार स्थल पर वृक्ष लगाने अनिवार्य होगें एवं उनकी स्वयं देखभाल करनी होगी।
10. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15–ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
11. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के दृष्टिगत स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। स्थल पर निर्माण कार्य दक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख रेख में पूर्ण किये जाने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
12. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिबुनल द्वारा जारी गाईड लाईन–2010 की शर्त के अनुसार निर्माणकर्ता विकासकर्ता द्वारा स्थल पर निमार्ण सामग्री को पूर्ण रूप से ढक कर व ट्रकों व अन्य वाहनों को भी ढक कर रखना होगा। निर्माणी सामग्री सडक पर ढक कर रखनी होगी। कार्य करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहन का कार्य करना होगा।
13. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिबुनल द्वारा समय–समय पर पर्यावरण सम्बन्धी सभी निर्देशों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गाइड लाइन 2010 का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
14. भविष्य में शुल्कों के सम्बन्ध में कोई यदि वित्तीय देयता होती है, तो आवेदक को देय होगी।
15. शमन मानचित्र की स्वीकृति आवासीय उपयोग हेतु प्रदान की जा रही है। इतर अनुक्रिया कदापि अनुमन्य नही होगी।
16. किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
17. अनुमन्य माइक्रोन सीमा से बाहर की पोलीथीन का उपयोग प्रतिबन्धित होगा।
18. स्थल पर कूड़ा निस्तारण हेतु एक नीला तथा एक हरा कूड़ादान रखना होगा।
19. रेरा की शर्तो का पालन करना होगा।
20. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की समस्त जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।
21. भवन का निर्माण एवं प्रयोग स्वीकृति के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होगा।
22. भवन निर्माण में लेबर एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
23. सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एक्ट–2016 एवं कान्स्ट्रक्सन एण्ड डिमोलिशन रूल्स–2016 का पालन करना होगा।
24. शासनादेश संख्या 1811/आठ–3–14–211विविध/13 दिनांक 17,नवम्बर, 2014 के प्रस्तर 4(1) के स्पष्टीकरण बिन्दु ख(5) के अनुसार आन्तरिक विकास कार्य को पूर्ण कराने की गारण्टी के रूप में विक्रय योग्य भूखण्डों के कुल क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत भाग को प्राधिकरण के पास बन्धक रखना है, जो आन्तरकि विकास कार्यो को पूर्ण किये जाने के अनुपात में अवमुक्त होगें।
25. अनावासीय भवनों में यू0पी0ई0सी0बी0सी0 कोड–2018 की अपेक्षाओं के अनुसार संयोजित विद्युत अधिभार–100 कि0वा0 या उससे अधिक हो अथवा कान्ट्रैक्ट डिमाण्ड 120 के0वी0ए0 या उससे अधिक हो अथवा भवन का भूखण्ड क्षेत्रफल–1000 वर्ग मी0 से अधिक एवं निर्मित क्षेत्रफल न्यूनतम 2000 वर्ग मी0 (तलघर छोड़कर) में भवन की छत पर विद्युत उत्पादन हेतु भवन की पीक विद्युत मांग का 1 प्रतिशत क्षमता अथवा छत क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल जो भी कम हो पर रिन्यूवेबल एनर्जी जनरेशन जोन/सोलर पावर प्लांट की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा।
26. शासनादेशानुसार निर्माण करते समय कोविड–19 (नोबल कोरोना वायरस) में दिये गये शर्तो का पालन करना होगा।
27. उपरोक्त किसी भी प्रतिबन्धों/शर्तो का उल्लंघन आवेदक द्वारा करने की दशा मे प्रदान की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

18/02/22

Authorised Signatory